श्रावण मास, कृष्ण पक्ष 1 वर्ष, अंक 56, पृष्ठ 4, मूल्य 1.00

अखण्ड भारत सन्देश

www.akhandbharatsandesh.net

प्रयागराज से प्रकाशित

नगर संस्करण प्रयागराज गुरूवार, 1 अक्टूबर, 2020

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को द्रुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान संस्थान की एक अनुपम भेंट

अंतरराष्ट्रीय उड़ान को छोड़ खुलेगा पूरा देश

सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल के लिए केंद्र ने जारी की गाइडलाइन

15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत देते हुए गृहमंत्रालय ने साफ कर दिया है कि दर्शकों के लिए 50 फीसद सीट का ही उपयोग कर सकेंगे। सूचना व प्रसारण मंत्रालय इसके लिए अलग से एसओपी जारी करेगा

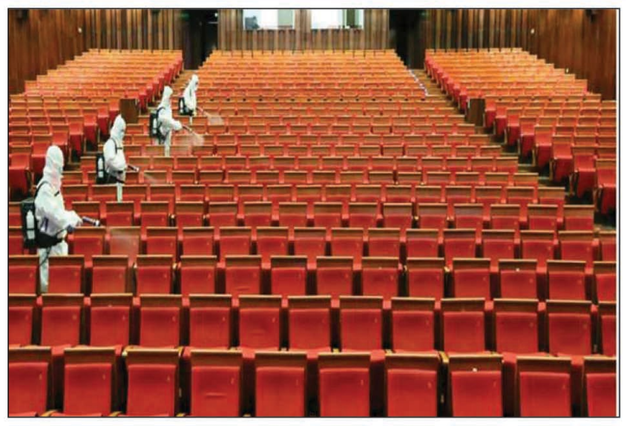

नीलू रंजन, नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे देश में सारी गतिविधियां अगले पंद्रह दिनों में खुल जाएगी। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, व्यापार मेला, स्वीमिंग पूल और इंटरटेनमेंट पार्क को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति होगी। कोरोना के कारण बंद गतिविधियों को खोलने के लिए जारी गाइडलाइन्स में गृहमंत्रालय ने इस बार स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन इस पर फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया है।

15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत देते हुए गृहमंत्रालय ने साफ कर दिया है कि दर्शकों के लिए 50 फीसद सीट का ही उपयोग कर सकेंगे। सूचना व प्रसारण मंत्रालय इसके लिए अलग से एसओपी जारी करेगा। इसी तरह व्यापार मेलों की भी 15 अक्टूबर से ही अनुमति होगी, लेकिन इसमें आम लोगों के आने पर मनाही होगी। स्वीमिंग पूल को खिलाड़ियों के लिए पहले ही खोल दिया गया था, अब उसमें आम लोगों के लिए भी इजाजत होगी। युवा और खेल कार्यक्रम मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग (एसओपी) जारी करेगा। वहीं इंटरटेनमेंट पार्क के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को एसओपी जारी करने को कहा गया है। मार्च से ही बंद स्कूलों, कालेजों और कोचिंग संस्थान तो खुलेंगे, लेकिन बंद के दौरान चल रही ऑनलाइन पढ़ाई को बंद नहीं किया जाएगा। छात्रों को स्कूल जाने या ऑनलाइन क्लास में भाग लेने की छूट होगी और स्कूल की ओर से कोई दवाब नहीं बनाया जाएगा। स्कूल जाने वाले छात्रों के अभिभावक की लिखित सहमति के प्रावधान को बरकरार रखा गया है।

इसके पहले 21 सितंबर से नौवीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल जाने की अनुमति इन्हीं शर्तों के साथ दी गई थी। स्कूलों के लिए हर राज्य अपना-अपना एसओपी बनाएंगे और अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इसी तरह शिक्षा मंत्रालय का उच्च शिक्षा विभाग गृहमंत्रालय के साथ मिलकर कॉलेज व अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के आने के लिए समय सारणी और एसओपी जारी करेगा। लेकिन शोध या अनुसंधान से जुड़े उच्च शिक्षा संस्थाओं को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति मिल गई है।

सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन, राजनीतिक, सांस्कृतिक व अन्य समारोहों के लिए पहले से और ज्यादा ढील दे दी गई है। पिछले महीने ऐसे समारोहों में 100 लोगों की इजाजत दी गई थी। लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई है। शर्त सिर्फ इतनी है कि यदि बंद जगह पर समारोह हो रहा है वहां कुल कैपेसिटी के 50 फीसद ही लोग भाग ले सकेंगे। राज्य सरकारों को इसके लिए एसओपी बनाने को कहा गया है।

पिछली बार की तरह इस बार भी गृहमंत्रालय ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकारें अपनी ओर से कंटेनमेंट जोन के बार कोई लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगी और राज्य के भीतर या दो राज्यों के बीच सामान और लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसी तरह 65 साल से अधिक और 10 साल के कम उम्र के व्यक्ति को घर पर रहने की सलाह बरकरार रखी गई है।

बुधवार को अनलॉक 4 की सीमा समाप्त हो रही है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही थी कि गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक 5 की गाइडलाइन का ऐलान करेगा। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 24 मार्च से शुरू हुआ देशव्यापी लॉकडाउन चरणों में लागू होने के बाद जुलाई महीने से चरण दर चरण हटने लगा है।

महाराष्ट्र में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र में होटल, फूड कोर्ट, रेस्ट्रॉन्ट-बार आदि को 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति होगी। इसके लिए 5 अक्टूबर से खोलने की इजाजत होगी।

पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने दुर्गा पूजा के लिए पंडाल लगाने की इजाजत पहले ही दे दी है। हालांकि, ममता सरकार ने पंडालों को चारों तरफ से खुला रखने, श्रद्धालुओं, आयोजकों समेत अन्य लोगों को मास्क लगाने और पंडाल में जगह-जगह पर सेनिटाइजर रखने जैसी शर्तें भी लगाई हैं। सबसे कड़ी शर्त है कि किसी पंडाल में एक वक्त में 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं।

तमिलनाडु सरकार ने कुछ रियायतों के साथ 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन बढ़ाने का एलान किया है। सरकार ने एक अक्टूबर से 10वीं से 12वीं के छात्र-छात्राओं को शिक्षकों से संपर्क करने के लिए स्कूल जाने की पहले दी गई अनुमति पर भी रोक लगा दी है। अभिभावकों के विरोध के बाद सरकार ने यह फैसला किया है। जिलाधिकारियों व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां लागू रहेंगी। शिक्षण संस्थान, सिनेमा हाल और संग्रहालय बंद रहेंगे।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि प्रदेश में दो नवंबर से स्कूल खुल सकते हैं। जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पांच अक्टूबर से ही स्कूल खोलना चाहते थे, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए दो नवंबर से स्कूल खोलने का फैसला किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 31 अक्टूबर तक बढ़ी पाबंदी

नई दिल्ली, प्रेट्र। नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी फिलहाल 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। यह जानकारी बुधवार को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने दी। नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने बताया कि कुछ खास मामलों में चुनिंदा रूट पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की इजाजत दी जा सकती है। उल्लेखनीय है कोरोना के कारण 23 मार्च से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगी हुई है।

हालांकि मई से वंदे भारत अभियान के तहत विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने का काम चल रहा है। वहीं जुलाई से कुछ देशों के साथ 'एयर बबल' सिद्धांत पर सीधी उड़ानों का परिचालन किया जा रहा है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएई, समेत 15 देशों के बीच इसी समझौते के अनुसार सीधी उड़ानें संचालित हो रही हैं। उधर नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि हाल ही में दो देशों केन्या और भूटान के साथ 'एयर बबल' सिद्धांत के अनुसार उड़ानें संचालित करने का समझौता हुआ है। उन्होंने बताया 17 सितंबर तक 13 देशों के साथ भारत का इस तरह का समझौता था जो बढ़कर अब 15 देशों के साथ हो गया है। अगर आप आने वाले दिनों में गोएयर के विमान से दिल्ली से किसी अन्य स्थान के लिए यात्रा करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। गोएयर ने पहली अक्टूबर से दिल्ली से जाने और आने वाली सभी उड़ानों का परिचालन हवाईअड्डे की टर्मिनल संख्या दो से करने का फैसला किया है। ज्ञात हो कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे देश में सारी गतिविधियां अगले पंद्रह दिनों में खुल जाएगी। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, व्यापार मेला, स्वीमिंग पूल और इंटरटेनमेंट पार्क को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति होगी। कोरोना के कारण बंद गतिविधियों को खोलने के लिए जारी गाइडलाइन्स में गृहमंत्रालय ने इस बार स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन इस पर फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया है।

अस्पताल के आइसीयू में लगी आग, ऑक्सीजन न मिलने से मरीज की मौत

शिवपुरी, राज्य ब्यूरो। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला अस्पताल के आइसीयू वार्ड में बुधवार दोपहर अचानक आग लग गई। इस दौरान एक मरीज की मौत हो गई। दोपहर लगभग पौने 2 बजे कोरोना संक्रमितों के लिए बनाए गए वार्ड में अचानक वेंटिलेटर में आग लगते ही अफरा-तफरी मच गई। कोरोना मरीजों को बाहर निकालने के लिए उनके स्वजनों को भी वॉर्ड में जाना पड़ा। मरीजों को शिफ्ट करते समय 65 वर्षीय मोहम्मद असलम की मौत हो गई। उनकी रिपोर्ट तो कोरोना निगेटिव थी, परंतु गंभीर लक्षणों के कारण उन्हें आइसीयू में भर्ती किया गया था।

बताया जाता है कि मोहम्मद असलम को सांस लेने में तकलीफ थी। उन्हें गुना से शिवपुरी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। यहां पर उन्हें आइसीयू में कोरोना मरीजों के साथ ही रखा गया था। वार्ड में जिस वेंटिलेटर में आग लगी, उसमें मरीज को हाइफ्लो ऑक्सीजन दी जा रही थी। वेंटिलेटर की प्लेट बहुत ज्यादा गर्म हो गई, जिससे आग लग गई। घटना के समय वार्ड में सात मरीज थे, जिसमें छह कोरोना संक्रमित थे।

मृतक के बेटे मोहम्मद ताहिर ने बताया कि आग लगने के साथ जब भगदड़ मची तो वे अपने पिता को आइसीयू से लाकर आइसोलेशन वार्ड में ले गए। इस दौरान उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और मौत हो गई। ताहिर ने आरोप लगाया है कि स्टाफ को मशीनें ऑपरेट करना नहीं आता है। तीन बार तो हमने ही अपने पिता की जान बचाई है। सीएमएचओ डॉ. एएल शर्मा ने कहा कि मरीज को हाइपोक्सिया था। 60 मीटर की दर से ऑक्सीजन देने के बाद भी उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 70 से अधिक नहीं हो रहा था। उसे डायबिटीज और हायपरटेंशन की शिकायत भी थी। घटना के समय हमारे रेजीडेंट डॉक्टर और दो नर्स वहां थीं। मृतक मोहम्मद असलम के अटेंडर खुद कई बार ऑक्सीजन का फ्लो ऊपर-नीचे करते थे। मौत भी शिफ्टिंग के दौरान नहीं हुई है। मरीज की मौत आइसोलेशन वॉर्ड में शिफ्ट करने के 25 मिनट बाद हुई है।

देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट

महाराष्ट्र में 2.60 लाख सक्रिय मरीज

जेएनएन, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। वर्तमान समय में कुल संक्रमितों की तुलना में 15 फीसद से कुछ अधिक सक्रिय मामले रह गए हैं। सक्रिय मामलों से 42 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। मरीजों के स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 83.33 फीसद हो गई है। अब तक 62 लाख से ज्यादा संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें से करीब 52 लाख मरीज ठीक भी हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से नए मामलों में लगातार कमी आ रही है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक अगस्त को कुल मामलों में 33.32 फीसद सक्रिय केस थे। 30 सितंबर को यह संख्या घटकर 15.11 फीसद रह गई। इस तरह दो महीने के भीतर सक्रिय मामलों में आधे से अधिक की कमी आई है। बीते 24 घंटों के दौरान 86,428 मरीज ठीक हुए हैं और अब तक स्वस्थ हो चुके लोगों का आंकड़ा 51.87 लाख को पार कर गया है। इस दौरान 80,472 नए मामले मिले हैं और कुल संक्रमितों की संख्या भी 62.25 लाख से अधिक हो गई है। सक्रिय मामले 9.40 लाख से कुछ अधिक रह गए हैं। 1,179 मौतों के साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97,497 पर पहुंच गई है।

मंत्रालय के मुताबिक 76 फीसद से अधिक सक्रिय मामले महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हैं। सबसे ज्यादा 2.60 लाख सक्रिय मरीज अकेले महाराष्ट्र में हैं।

महाराष्ट्र में लगातार नए मरीजों से अधिक संख्या में मरीज ठीक हो रहे हैं। राज्य में 18,317 नए मामले मिले हैं और 19,163 मरीज ठीक हुए हैं। इस तरह कुल संक्रमितों की संख्या 13.84 और ठीक हुए मरीजों की संख्या 10.88 लाख से अधिक हो गई है। मंगलवार देर रात से अब तक 481 लोगों की मौत भी हुई है और राज्य में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 36,662 पर पहुंच गया है। मुंबई में 2,654 नए मामले मिले हैं, जो पिछले कुछ दिनों में सर्वाधिक हैं। महानगर में अब तक दो लाख से अधिक संक्रमित मिल चुके हैं और 8,929 लोगों की मौत भी हुई है।

दिल्ली में 3,390 नए केस मिले हैं और 41 लोगों की मौत हुई है। केंद्र शासित प्रदेश में अब तक कुल 2.79 लाख संक्रमित मिल चुके हैं और 5,361 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में 1390 नए मामलों के साथ 1.37 लाख मरीज हो गए हैं। 11 लोगों की मौत भी हुई है और मरने वालों का आंकड़ा 3,453 पर पहुंच गया है।

केरल में लगातार नए मामले बढ़ रहे हैं। एक समय ऐसा था जब राज्य ने कोरोना पर लगभग काबू पा लिया था। राज्य में एक दिन में 8,830 नए केस मिले हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 1.95 लाख पर पहुंच गई है। राज्य में और 23 (कुल 742) मरीजों की मौत भी हुई है।

तमिलनाडु में 5,659 नए मामलों के साथ कुल 5.97 लाख, आंध्र प्रदेश में 6,133 नए मामलों के साथ कुल 6.93 लाख और गोवा में 641 नए मामलों के साथ 33 हजार से अधिक संक्रमित अब तक सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु में और 67 (कुल 9,520) और आंध्र प्रदेश में 48 (5,828) की मौत भी हुई है।

भगोड़े शराब कारोबारी माल्या की कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में 14 हजार करोड़ रुपये देने की पेशकश की

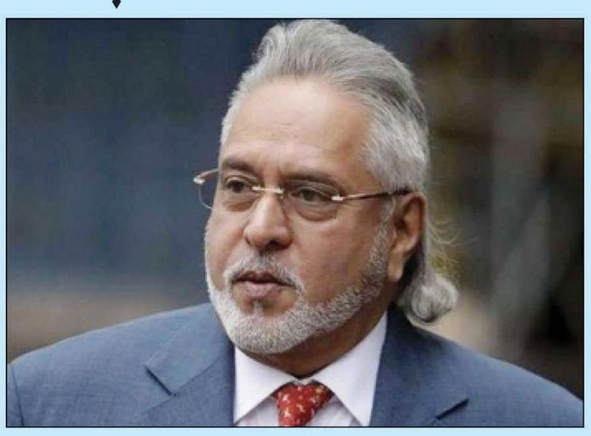

नई दिल्ली, आइएएनएस। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज (होल्डिंग) लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह विभिन्न भारतीय बैंकों को बकाया रकम चुकाने के लिए 14 हजार करोड़ रुपये देने के लिए तैयार है। कंपनी ने यह भी कहा कि उसकी कुल संपत्ति उस पर बकाया कर्ज से अधिक है। जस्टिस यूयू ललित, विनीत सरन और आर रवींद्र भट की खंडपीठ के समक्ष माल्या की कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि उन्हें बैंकों का जवाब मिल गया है। उन्होंने कहा कि चूंकि गणना में पाया गया है कि कंपनी की कुल संपत्ति उस पर बकाया कर्ज से ज्यादा है, इसलिए कंपनी को अपना कामकाज समेटने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि चूंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी कई संपत्तियों को जब्त कर लिया है, इसीलिए इन संपत्तियों को बैंकों को भी नहीं सौंपा जा सकता है। माल्या के वकील ने शीर्ष अदालत में यह भी कहा कि उनके मुवक्किल पर बकाया राशि 6,203 करोड़ रुपये है लेकिन उन्होंने इसके बदले में जो कीमत बैंकों को देने की बात कही है वह 14 हजार करोड़ रुपये है। जबकि धन की उगाही केवल 430 करोड़ रुपये की ही हो पाई है।

वैद्यनाथन ने यह भी कहा कि साल 2009 से अभी तक वास्तव में उनकी संपत्ति ईडी जब्त नहीं कर पाई है। वकील ने कहा कि गारंटर तो याचिकाकर्ता है लेकिन कर्ज तो किंगफिशर और अन्य ने लिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट के कंपनी के कामकाज को समेटने के आदेश को चुनौती देने के दौरान यूनाइटेड बेवरीज ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह दलीलें दी हैं।

उल्लेखनीय है कि माल्या ने बंद हो चुकी अपनी एयरलाइंस कंपनी किंगफिशर के लिए बैंकों से नौ हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। साल 2016 में वह भारत से फरार हो गया था। माल्या पर आरोप है कि उसने जानबूझकर बैंकों का कर्ज नहीं चुकाया। बता दें कि भारत और ब्रिटेन के बीच 1992 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी जो नवंबर 1993 में प्रभावी हुई थी। इसके तहत भारत सरकार भी माल्या के प्रत्यर्पण की कोशिशें कर रही है।

पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में खनन का अधिकार किसी को भी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में खनन का अधिकार न तो केंद्र सरकार को है और न ही राज्य सरकार को। शीर्ष अदालत ने व्यवसायिक उपयोग के लिए कोयला खदानों की नीलामी के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया केंद्र सरकार को राज्य में कोयला खदानों को नीलाम करने का अधिकार है परंतु, नीलाम किए जाने वाला क्षेत्र, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील जोन में आता है या नहीं, यह पता लगाने के लिए अदालत विशेषज्ञों की टीम भेज सकती है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से हलफनामा दायर एक हफ्ते के भीतर यह बताने को कहा है कि जिस इलाके को लेकर चुनौती दी गई है, क्या वह पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में आता है या नहीं। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, 'फिलहाल हम यह तय करने नहीं बैठे हैं कि खनन का अधिकार केंद्र को है या झारखंड सरकार को।

ढांचा ध्वंस साजिश नहीं, लालकृष्ण आडवाणी समेत सभी अभियुक्त बरी

लखनऊ, जेएनएन। देश की राजनीतिक दिशा को परिवर्तित कर देने वाले अयोध्या विध्वंस केस में बुधवार को सीबीआइ की विशेष अदालत का बहुप्रतीक्षित फैसला आ गया। 28 साल से चल रहे इस मुकदमे पर विशेष जज एसके यादव ने अपने कार्यकाल का अंतिम फैसला सुनाते हुए लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, महंत नृत्य गोपाल दास, कल्याण सिंह समेत सभी आरोपितों को बरी कर दिया। विशेष जज ने कहा कि तस्वीरों से किसी को आरोपित नहीं ठहराया जा सकता है। अयोध्या ढांचा विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था। घटना के प्रबल साक्ष्य नही हैं। सिर्फ तस्वीरों से किसी को दोषी नहीं कहा जा सकता है।

छह दिसंबर, 1992 को अयोध्या में हुए ढांचा विध्वंस केस में बुधवार को सीबीआइ कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी 32 आरोपितों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआइ कोई निश्चयात्मक सुबूत नहीं पेश कर सकी। विध्वंस के पीछे कोई साजिश नहीं रची गई और लोगों का आक्रोश स्वतः स्फूर्त था। इस मामले के मुख्य आरोपितों में एक स्व. अशोक सिंहल को कोर्ट ने यह कहते हुए क्लीन चिट दे दी कि वह तो खुद कारसेवकों को विध्वंस से रोक रहे थे, क्योंकि वहां भगवान की मूर्तियां रखी हुई थीं।

महज तीन मिनट में ही जज ने सुनाया फैसला : लगभग 28 साल तक चले इस मामले में फैसला सुनाने के लिए सीबीआइ के विशेष जज एसके यादव दोपहर 12 बजकर 10 मिनट में कोर्ट पहुंचे। उस समय कोर्ट में 26 आरोपित मौजूद थे, जबकि लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, उमा भारती, नृत्यगोपाल समेत छह आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में जुड़े हुए थे। महज तीन मिनट में ही जज ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपितों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अखबारों में छपी खबरों को प्रामाणिक सुबूत नहीं माना जा सकता क्योंकि उनके मूल नहीं पेश किए गए। फोटोज की निगेटिव नहीं प्रस्तुत किए गए और न ही वीडियो फुटेज साफ थे। कैसेटस को भी सील नहीं किया गया था। अभियोजन ने जो दलील दी, उनमें मेरिट नहीं थी।

अशोक सिंघल ढांचे को सुरक्षित रखना चाहते थे : सीबीआइ कोर्ट के विशेष जज एसके यादव ने अपने फैसले में कहा कि छह दिसंबर, 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा के पीछे से दोपहर 12 बजे पथराव शुरू हुआ। अशोक सिंघल ढांचे को सुरक्षित रखना चाहते थे क्योंकि ढांचे में मूर्तियां थीं। कारसेवकों के दोनों हाथ व्यस्त रखने के लिए जल और फूल लाने के लिए कहा गया था। जल ने अखबारों को साक्ष्य नहीं माना और कहा कि वीडियो कैसेट के सीन भी स्पष्ट नहीं हैं। कैसेट्स को सील नहीं किया गया, फोटोज की नेगेटिव नहीं पेश की गई। ऋतम्बरा और कई अन्य अभियुक्तों के भाषण के टेप को सील नहीं किया गया। विध्वंस के लिए कोई षडयंत्र नहीं किया गया : कोर्ट ने कहा कि विध्वंस के लिए कोई षडयंत्र नहीं किया गया। घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। एलआईयू की रिपोर्ट थी कि छह दिसंबर 1992 को अनहोनी की आशंका है किंतु इसकी जांच नही कराई गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से जो साक्ष्य पेश किए वो दोषपूर्ण थे। जिन लोगों ने ढांचा तोड़ा उनमें और आरोपियों के बीच किसी तरह का सीधा संबंध स्थापित नहीं हो सका। इस आधार पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

ग्रामीण अंचल

प्रयागराज गुरूवार, 1 अक्टूबर, 2020

संक्षेप समाचार

विवाहिता को ससुरालियों ने निकाला, पुलिस से गुहार

नैनी। क्षेत्र के छोटा चाका गांव की रहने वाली पूजा मिश्रा ने नैनी कोतवाली में अपने ससुरालियों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की तहरीर दी है। पूजा के मुताबिक गत 26 अप्रैल को उसकी शादी बृजेश तिवारी निवासी मऊ छपरा, सिवान, बिहार के साथ हुई थी। पिता ने अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान दहेज दिया था। आरोप है कि शादी के बाद से ही पूजा मिश्रा को उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे। आरोप है कि उसके सास ससुर उसे मारा पीटा करते थे और पति भी उनका साथ देता था। परेशान होकर वह अपने मायके में आकर रहने लगी। इसी बीच उसके पति ने अपने साथ दूसरी औरत रख ली। उसकी शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अलग-अलग दो सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत परिजनों में मचा कोहराम

नैनी। कोतवाली क्षेत्र के मेवलाल की बगिया तिराहे के समीप व डांडी ढाल के निकट अलग-अलग दो सड़क दुर्घटनाओं में दो युवकों की मौत होने से परिजनों में कोहराम मचा रहा। सूचना मिलने पर पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए।

जानकारी के मुताबिक नैनी कोतवाली क्षेत्र स्थित रिफ्यूजी कॉलोनी निवासी सुमित कुमार (33) पुत्र गुरदीस आनंद मंगलवार रात लगभग 10:30 बजे अपने भाई मनीष कुमार के साथ बाइक द्वारा मेवालाल की बगिया तिराहे के समीप किसी कार्य हेतु आए हुए थे। वह सड़क किनारे खड़े थे, तभी औद्योगिक क्षेत्र की ओर से तेज गति में आ रही एक ट्रक ने सुमित कुमार को रौंदते हुए आगे निकल गई। जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसी प्रकार बिहार के मुजफ्फरपुर जिला स्थित छपरा निवासी सिराज (26) पुत्र शामिद नैनी कोतवाली क्षेत्र के डांडी ढाल के समीप एक पंक्चर की दुकान पर रहकर काम करते थे। बुधवार भोर लगभग 4:30 बजे वह लघुशंका करने के लिए सड़क किनारे गया हुआ था।तभी एक बस की चपेट में आ गया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस दोनों दुर्घटनाओं स्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। वहीं मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा रहा।

मृतक के शव को अपने कब्जे में लेती पुलिस

रंजिशन फर्जी केस में फंसाने का किया जा रहा प्रयास

कोरांव। थाना पुलिस कोरांव अंतर्गत बड़ोखर पुलिस चौकी में ग्राम गाढ़ा की एक महिला अपने विपक्षी जनों को अपनी ही बेटी के साथ गलत हरकत का फर्जी आरोप लगाने का मामला संज्ञान में आया है। बतादें कि ग्राम खेत्रपलिया गाढ़ा की एक महिला कुसुम पत्नी बिजय पाल पटेल से पड़ोसी त्रिवेणी पटेल आदि से विवाद चल रहा है। दोवर्ष पूर्व वह महिला अपने ही बाबा को लाठियों से मारकर हत्या कर दी थी। और काफी दिन जेल में रही। जमानत से रिहा होने के बाद उक्त महिला का खौफ समाप्त हो गया है। इसके पूर्व भी त्रिवेणी पटेल के घर के सदस्यों को दुष्कर्म के फर्जी आरोप में फंसाने के प्रयास किया था। किंतु पुलिस की सूझ बूझ से सच्चाई के बाद आरोपी बेबुनियाद निकला था। एक केस उसने और उक्त लोगों पर दर्ज कराया था। गत 23 सितंबर 20 को कुसुम ने त्रिवेणी के पुत्र पर अपनी 16 वर्षीया पुत्री पर बेजां हरकत करने का आरोप मढ़ा। पुलिस ने जांच की और आपसी रंजिश के कारण सुलह का भी लोगों ने प्रयास किया। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी उसने भेजी, कि पुलिस केस दर्ज नहीं कर रही। इस संदर्भ में इस प्रेस प्रतिनिधि ने जब पड़ताल किया तो पता चला उक्त खिलाफ पार्टी की महिला कुसुम ने रंजिशन त्रिवेणी पटेल के पुत्र को जो नाबालिग है उसे फंसाने के कुचक्र रचा है।

आगामी पंचायत चुनाव में वोट से इंकार करने पर प्रधान ने मजदूरों का बंद कराया मजदूरी कार्य

आक्रोशित मजदूरों ने किया एसडीएम मेजा से शिकायत

प्रधान के विरूद्ध कार्यवाही न होने पर मजदूरों ने दिया आंदोलन की चेतावनी

मेजा। आगामी होने वाले ग्राम पंचायत के चुनाव में वर्तमान प्रधान को वोट देने से इंकार करने पर सैकड़ो मनरेगा मजदूरों को ग्राम प्रधान से मजदूरी का कर्य बंद करा दिया जिससे आक्रोशित होकर मजदूरों ने एसडीएम मेजा से शिकायत कर दोषी प्रधान के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग की है। मामला विकास खण्ड मेजा के बरसैता गॉव का हैं।

सैकड़ों की संख्या में एसडीएम मेजा से शिकायत करते मजदूर

उल्लेखनीय है कि मेजा तहसीज क्षेत्र के विकास खण्ड मेजा के वर्तमान प्रधान छककूलाल पाल के विरूद्ध मनरेगा में मजदूरी के कार्य में लगे मजदूरों ने मंगलवार को एसडीएम मेजा को दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र में आरोप लगाते हुए लिखा है मजदूरी के कार्य के दौरान प्रधान ने आगामी होने वाले पंचायत के चुनाव में स्वयं को वोट देने का दबाव रहा रहे है जिस पर मजदूरों द्वारा इंकार कर दिया गया और यह कहा गया कि जब चुनाव का समय आयेगा तो इस मुद्दे पर विचार किया जायेगा। एसडीएम मेजा को दी गयी शिकायत में मजदूरों ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ग्राम प्रधान के दबाव का जब मजदूरों ने समर्थन नहीं किया तो दबंग ग्राम प्रधान द्वारा उनहें गालियॉ व जान से मारने की धमकी दिया गया और उनकी मनरेगा मजदूरी का कार्य बंद करा दिया गया। हलाकिं प्रधान की इस मनमानी से आक्रोसित मजदूरों ने सैकड़ो की संख्या में एसडीएम मेजा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यवाही किये जाने की मांग की है। फिलहाल प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए एसडीएम मेजा ने प्रधान के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु बीडीओ मेजा को निर्देशित कर दिया है।

आस्था वृद्ध नवजीवन सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा भंडारे का आयोजन

उतरांव। आस्था वृद्ध नवजीवन सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा मंगलवार शाम को संस्था के मुख्यालय कहरा हनुमानगंज पर गरीब बृद्ध निराश्रित बेसहारा व्यक्तियों के लिए एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विशाल भंडारे का शुभारंभ सेवा निर्वित लोको पायलट होरीलाल के द्वारा किया गया। भंडारे में सोशल डिस्टेंस का विशेष रूप से ध्यान दिया गया। वही संस्था के अध्यक्ष अश्वनी कुमार व सचिव अंजनी कुमार ग्राम प्रधान कहरा ने आए हुए सभी लोगों का आभार जताया। प्रबंधक जंगबहादुर प्रबंधक प्रमुख राम भजन सागर राजेंद्र प्रसाद अरविंद कुमार वर्मा अमित कुमार वर्मा कृपानिधि सतीश चंद जैस्वाल अमित सागर आदि कार्यकर्ता लोग आए हुए सभी अतिथिगणों का जोरदार स्वागत किया।

समाज को मजबूत को मजबूत बनाने का किया गया आह्वान : पंकज विश्वकर्मा

सिरसा। यमुनापार मेजा क्षेत्र ब्लाक उरुवा ग्रामपंचायत बकचुना मे इलाहाबाद झांसी खण्ड के स्नातक एमएलसी पत्याशी पंकज कुमार मनु विश्वकर्मा के उपस्थित में विश्वकर्मा समाज के गणमान्य लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर मालार्पण और दिप प्रज्वलित करके पूजन समारोह के पश्यात चुनाव पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई।और समाज के लोगो ने एमएलसी पत्याशी पंकज मनु विश्वकर्मा को हर अस्तर से मदत कर चुनाव लड़ाने का आश्वासन दिया। बैठक में शामिल होने वाले सजातीय बन्धुओ से कोरोना वायरस संक्रमण बीमारी को देखते हुए सोशल डिस्टेसिंग तथा मास्क का उपयोग करने की अपील किया गया।

विश्वकर्मा समाज की बैठक ग्रामपंचायत बकचुना फिटर विश्वकर्मा के निवास पर संपन्नय किया गया। जिसमें बैठक के मुख्य अतिथि इलाहाबाद झांसी खण्ड के स्नातक एमएलसी पत्याशी पंकज विश्वकर्मा मनु ने कहा कि विश्वकर्मा समाज के लोगो को एकजुट होना बहुत जरूरी है। तभी समाज का विकाश संभव है। समाज के लोगो के साथ मिलकर सेवा-भाव से एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जिससे हम सब खुद आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। पंकज मनु ने कहा कि आज तक हर पार्टी हमारे समाज के लोगो का सिर्फ उपयोग किया गया है।जब तक हम संगठित नहीं होगे तब तक हमारे समाज को राजनीति भागीदारी नही मिलेगा। एमएलसी पत्याशी पंकज मनु विश्वकर्मा के समर्थन में राजकुमार विश्वकर्मा ने कहा कि अब नेतृत्व क्षमता निर्माण करने की जरूरत है। भेद-भाव करने वाली पार्टी को करारा जवाब दिया जाएगा। आगमयी विधान चुनाव में एकजुटता के साथ विश्वकर्मा समाज अपनी ताकत दिखाएगी। जिस पार्टियां विश्वकर्मा समाज को सम्मान देने की कार्य करेगी उस पार्टी को विश्वकर्मा समाज अपनी वोट करेगी। विश्वकर्मा समाज के उत्पीड़न पर विनोद कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि गोरखपुर के पार्षद सौरभ विश्वकर्मा व विश्वकर्मा विग्रेड के प्रदेश प्रभारी चंदन विश्वकर्मा को रात्रि दो बजे पुलिस बल के द्वारा जबरजस्ती दरवाजा तोड़कर घर से की गई गिरप्तारी पर बिरोध जताया और विनोद विश्वकर्मा ने कहा कि बर्तमान सरकार द्वारा पहले तो विश्वकर्मा भगवान के पूजा के दिन छुट्टी को हटाया गया। अब विश्वकर्मा समाज के लोगो का उत्पीड़न किया जा रहा है। जो कि सरकार ये ठीक नही कर रही है। और आने वाले समय मे विश्वकर्मा समाज के लोग करारा जबाब देगा। इस बैठक में मुख्य रूप से रामनिरंजन विश्वकर्मा, कमलेश कुमार विश्वकर्मा, कमला शंकर विश्वकर्मा, फिटर विश्वकर्मा, रमेश कुमार विश्वकर्मा, दिलीप कुमार विश्वकर्मा, ओम प्रकाश विश्वकर्मा, राजेश कुमार विश्वकर्मा, कन्हैया लाल विश्वकर्मा, शिव कुमार विश्वकर्मा, कमलकांत विश्वकर्मा आदि प्रमुख लोग सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए उपस्थित थे।

बैठक के दौरान उपस्थित विश्वकर्मा समाज के लोग

भाजपा महानगर अध्यक्ष को सौंपा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन, दी आंदोलन की चेतावनी

नैनी। कोरोना काल में चौतरफा बेरोजगारी का आलम है। इससे लोक कला एवं संस्कृति से जुड़े कलाकारों का वर्ग भी अछूता नहीं है। आज इस विधा से जुड़े कलाकारों के सामने दो जून की रोटी का संकट है। अपनी इन्हीं समस्याओं को लेकर यमुनापार कलाकार संगठन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भाजपा महानगर अध्यक्ष गणेश केशरवानी को सौंपा। जिसमें नवरात्रि में लोक कलाकारों का कार्यक्रम शुरू कराने की इजाजत देने की मांग की गई है। साथ में चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगों और जरूरतों को नजरअंदाज किया गया तो उनका संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। यमुनापार कलाकार संघ के अध्यक्ष प्रियांशु श्रीवास्तव ने बताया कि इस महामारी काल में यमुनापार कलाकार संघ, प्रयागम् कलाकार कल्याण समिति और प्रयागराज कलाकार एसोसिएशन एक ही मंच पर आकर सभी विधाओं से जुड़े कलाकारों की समस्याओं को एकसुर में उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ज्ञापन के जरिए लोक कलाकारों का भारत सरकार के सांस्कृतिक उपक्रमों में पंजीकरण कराने और नवरात्रि से लोक कलाकारों को कार्यक्रम करने की अनुमति देने की मांग की गई है। महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी ने कलाकारों के कार्यक्रम को जल्द ही प्रारंभ कराने का आश्वासन दिया एवं मुख्यमंत्री तक कलाकारों की बात पहुंचाने की भी बात कही । भाजपा की सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की संयोजिका आभा श्रीवास्तव, मनीष पटेल, ज्ञान शाक्य, संदीप द्विवेदी, आशीष शर्मा, जितेंद्र सिंह, विष्णु राजा, जितेंद्र बजरंगी, विक्रम तूफानी, विष्णु शर्मा, साहित्यकार एवं उद्घोषक शैलेंद्र मधुर ने भी यमुनापार कलाकार संघ का समर्थन किया।

राहत सामग्री पाकर खुशी से खिले गरीब कुनबे के चेहरे

उतरांव। सोमवार को कई गांवों में गरीब परिवार को समाज सेवी लोगों ने राहत सामग्री वितरण किया। राहत सामग्री पाकर खुशी से गरीबों के चेहरे खिल उठे। प्रगति ग्रामोद्योग एवं समाज कल्याण की अध्यक्ष ज्योति सिंह के मार्गदर्शन में जिला कांर्डिनेटर विनय प्रकाश यादव की अगुवाई में मनीष कुमार, मिथुन, रमेश आदि लोगों के सहयोग से प्रतापपुर विधानसभा के मोहिउद्दीनपुर, सराय पीथा,वारी,मुसहर बस्ती में गरीब कुनबों को राहत सामग्री वितरण किया गया। साथ ही साथ इन गरीबों को मास्क और सेनिटाइजर वितरण कर कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया।वही कोऑर्डिनेटर विनय प्रकाश यादव ने कहा कि प्रयागराज को भूख मुक्त बनाना हमारे संस्था का उद्देश्य है।उन्होंने आगे कहा कि हमारे संस्था का स्लोगन है न कोई बच्चा भूख से रोयेगा न ही कोई भूखा सोएगा।अब तक लॉक डाउन के बाद से इस संस्था द्वार लगभग जिले के 5 सौ गावो में गरीबो को राहत पैकेट का वितरण किया जा चुका है। राहत सामग्री पैकेट में चावल, आटा, दाल, नमक, तेल, चीनी, पेठा, साबुन प्याज लहसुन आदि खाद्य सामग्री पाकर गरीबों के चेहरे खुशी से खिल उठें। वनवासियों ने कोऑर्डिनेटर का आभार जताते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।

गरीबों को राहत सामग्री वितरित करते हुए

हाईकोर्ट समाचार

जेल वार्डरों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली पर रोक

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल वार्डरों का गलत वेतन निर्धारण कर उसे अधिक वेतन का भुगतान करने और बाद में वार्डर से उसकी वसूली कार्यवाही पर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने वार्डर से अधिक भुगतान किए गए वेतन की वसूली पर रोक लगा दी है। बरेली सेंट्रल जेल में तैनात जेल वार्डर किशन पाल सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अजय भनोट ने यह आदेश दिया। याची का कहना है कि जेल वार्डरों के वेतन निर्धारण में विभाग द्वारा गलती की गई। उनको अधिक भुगतान किया गया। इसमें याचीगण की कोई गलती नहीं है। इसके बाद डीआईजी कारागार, प्रशासन व सुधार ने 15 जून, 24 जून व 29 जुलाई को आदेश पारित कर अधिक भुगतान किए गए वेतन की वसूली का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि क्या याचीगण के विरुद्ध आदेश पारित करने से पूर्व उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था। और क्या वेतन निर्धारण के समय याची से इस आशय की अंडरटेकिंग ली गई थी यदि उसे अधिक भुगतान किया गया तो याची को इसे लौटाना होगा। कोर्ट ने दोनों बिंदुओं पर 12 अक्तूबर तक जानकारी मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई 12 अक्तूबर को होगी।

मजिस्ट्रेट के आदेश के बावजूद जब्त गाड़ी न छोड़ने पर दारोगा से व्यक्तिगत हलफनामा तलब

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब्त स्कार्पियो को मुक्त करने के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन न करने और थाना पवई आजमगढ़ के दारोगा संजय सिंह द्वारा व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल न करने पर नाराजगी व्यक्त की है और सरकारी वकील से कहा है कि आदेश की सूचना एसपी आजमगढ़ को फोन व फैक्स से दे। ताकि अगली सुनवाई की तिथि पर दारोगा हलफनामा दाखिल करे। कोर्ट ने कहा है कि यदि हलफनामा दाखिल नहीं होता है तो दारोगा कोर्ट में पेश हो। याचिका की सुनवाई 12 अक्तूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एस एस शमशेरी ने गीता की याचिका पर दिया है। मालूम हो कि पुलिस गस्ती के समय दो गाड़ियों की जांच की गयी। जिसमें से 12 पेटी अवैध शराब व एक झोला गांजा बरामद हुआ। दो लोग पकड़े. गये शेष भाग गये। इसकी प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। गाड़ी जब्त कर थाने में खड़ी की गयी है। 26 जून 20 को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थाने में रखी स्कार्पियो मुक्त करने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद दारोगा गाड़ी नहीं छोड़ रहा। तो हाईकोर्ट में यह याचिका दाखिल की गयी है। कोर्ट ने विपक्षी दारोगा से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर मजिस्ट्रेट के आदेश न मानने का कारण पूछा। न तो हलफनामा दाखिल किया गया है और न ही कोई जवाब आया। इस पर कोर्ट ने एसपी को आदेश की सूचना देकर अगली सुनवाई की तिथि पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

वकीलों के डाटा भेजने की अंतिम तिथि 15 नवम्बर तक बढ़ी

प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी द्वारा मांगे गए देश भर के वकीलों के डाटा को भेजने की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। अब अधिवक्ता बार कौंसिल द्वारा निर्धारित प्रारुप पर अपना विवरण 15 नवंबर तक भेज सकेंगे। बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन जानकी शरण पांडेय के मुताबिक उत्तर प्रदेश काफी बड़ा राज्य होने और वकीलों की अधिक संख्या होने के कारण सभी का डाटा भेजने का काम नहीं हो पाया था। इसलिए बार कौंसिल ऑफ इंडिया से अंतिम तिथि बढ़ाने की अपील की गई थी। जिसे स्वीकार कर लिया गया है। पांडेय ने बताया कि हर जिले से एक ही अधिवक्ता संघ को वकीलों का डाटा एकत्र कर भेजना है। अधिवक्ता चाहे उस संघ का सदस्य हो या नहीं। अपना डाटा निर्धारित प्रारुप में अपने जिले के अधिवक्ता संघ में जमा करेगा। इसे अधिवक्ता संघ द्वारा सीधे बार कौंसिल ऑफ इंडिया की ईमेल आईडी पर भेजना होगा। इस काम में कागज का इस्तेमाल नहीं होना है।

बाबरी विध्वंस मामले में निर्णय पर वकीलों ने खुशी जता बांटी मिठाई

प्रयागराज। बाबरी मामले में सीबीआई अदालत के ऐतिहासिक फैसले का अधिवक्ता परिषद प्रयागराज के प्रदेश महामंत्री शीतल, अधिवक्ता समन्वय समिति के अध्यक्ष बीएन सिंह, प्रयागराज अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एनके चटर्जी, महासचिव राजेश त्रिपाठी, आदर्श अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एससी मिश्र, महासचिव सभाजीत सिंह, यंग लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष त्रिपाठी, उपाध्यक्ष बीडी पांडेय सहित कई बार संगठनों ने स्वागत किया है। अधिवक्ता परिषद के प्रदेश महामंत्री शीतल ने कहा कि यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया द्वारा सभी तथ्यों एवं विधि व्यवस्थाओं पर आधारित है। पांच सौ वर्षों के संघर्ष के बाद बाबरी विध्वंस मामले में विजयश्री प्राप्त हुई है। यह सभी हिंदुओं के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है। प्रभु श्रीराम की पावन नगरी अयोध्या में भगवान श्रीराम के मंदिर निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है और आज उस संघर्ष के नायकों को झूठे षड़यंत्र के आरोप से मुक्त भी कर दिया गया। यह सभी श्रीराम भक्तों की विजय और राम विरोधियों की पराजय है। सीबीआई कोर्ट द्वारा अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में कहा गया कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। घटना अचानक हुई। षडयंत्र के आरोप निराधार है। इसमें सभी आरोपी बरी किए गए। इस फैसले का भाजपा से जुडे. हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने एकमत से स्वागत किया एवं उच्च न्यायालय के सामने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। फैसले का स्वागत करने वालों में प्रमुख रूप से मृत्युंजय तिवारी, नंदलाल सिंह पटेल, जय सिंह, पतंजलि मिश्रा, देवेंद्र नाथ मिश्रा, दुर्गेश चंद्र तिवारी, दिलीप पांडे, रवि सिंह, पुरुषोत्तम मौर्य, पुष्कर मिश्रा लालमणि बिंद, गुलाब पटेल इत्यादि अधिवक्ताओं ने फैसला आने पर जश्न मनाया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव जेबी सिंह ने कहा कि 28 साल के षडयंत्र का पदार्फास हो गया है।

हाथरस दुष्कर्म मामले में चीफ जस्टिस को पत्र भेजकर निष्पक्ष जांच की मांग

प्रयागराज। हाथरस दुष्कर्म मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र भेजकर इस समूचे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गयी है। इस पत्र में विशेष जांच एजेंसी को जांच ट्रान्सफर करने की मांग की गयी है। पेशे से अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर को पत्र भेजकर उनसे प्रार्थना की है कि वह 14 सितम्बर को हुए इस दुष्कर्म मामले का स्वतः संज्ञान लेकर युक्तियुक्त निर्देश जारी करे। पत्र में अधिवक्ता ने कहा है कि चार लोगों ने रेप के बाद गला दबाकर मारने की कोशिश की थी। यह घटना प्रदेश की कानून व्यवस्था की खराब दशा को भी उजागर कर रहा है। कहा गया है कि प्रदेश में कानून का शासन है, जनता के मन में ऐसा विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक है कि इस दुष्कर्म मामले की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाय ताकि समूचे घटना की सही जांच हो सके। अधिवक्ता ने यह पत्र पीड़िता की मौत के बाद चीफ जस्टिस को भेजा है।

प्रयागराज हलचल

प्रयागराज गुरूवार, 1 अक्टूबर, 2020

संक्षेप समाचार

मोबाइल फेंक करा प्रेमी के साथ किशोरी भागी, मुकदमा दर्ज

मऊआइमा। मोबाइल पर प्रेमी से निरंतर बात करने पर जब मां ने नाबालिग लड़की को फटकारा तो वह मोबाइल फेंक कर अपने प्रेमी के संग फरार हो गई। पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मऊआइमा थाना क्षेत्र के ग्राम भौंका गांव निवासनीय एक महिला का कहना है कि उसकी नाबालिग लड़की निरंतर मोबाइल से बातें.करती थी। मोबाइल से बराबर बात करने पर 27 सितम्बर को रात में वह जम कर फटकारी । बताया गया है कि नाबालिग लड़की मोबाइल फेंक कर रात लगभग आठ बजे किसी के साथ भाग गयी । बहुत तलाशने के बाद न मिलने पर भागी किशोरी की माता ने अज्ञात युवक के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दी है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की जांच कर रही है ।

सीएम का पुतला फूंकने जा रहे पूर्व छात्रसंघ उपाध्यक्ष समेत 14 पुलिस हिरासत में

प्रयागराज। बुधवार को यूपी के हाथरस में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंकने जा रहे इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (इविवि) के पूर्व छात्रसंघ उपाध्यक्ष और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत 14 को बुधवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान छात्रों की पुलिस से तीखी झड़प भी हुई।

पुलिस को इस बात का पहले से ही अंदाजा लग गया था कि छात्र विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस वजह से जगह-जगह बैरिकेटिंड कर दी गई थी। इसके बावजूद छात्र तीन अलग-अलग टुकड़ी में बैरिकेडिंग लांघते हुए छात्रसंघ भवन पहुंचे। यहां से पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया।

छात्रों को हिरासत में लेती पुलिस

सर्वदलीय पूर्व पार्षद संघर्ष समिति ने बुधवार को यूपी के हाथरस में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। सीएम को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पर एसीएम सुनील कुमार सिंह को सौंपा। समिति के संयोजक व पूर्व पार्षद शिवसेवक सिंह ने कहा कि प्रदेश में गैंगरेप की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से सीएम से मांग की है कि आरोपितों के खिलाफ तत्काल प्रभाव सख्त कदम उठाए जाएं। घटना के बाद प्रभावी कदम उठाने में देरी करने के दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। इस मौके पर पूर्व वरिष्ठ पार्षद शिवसेवक सिंह, आनंद घिल्डियाल अशोक सिंह कमलेश सिंह, रंजन कुमार,चंद्र प्रकाश गंगा आदि मौजूद रहे।

कोर्ट का आदेश आते ही झूम उठे भाजपाई

शंकरगढ़। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी 32 अभियुक्तों को बरी करने पर यमुनापार के भाजपाइयों में खुशी छा गई। जिलाध्यक्ष यमुनापार विभवनाथ भारती ने कहा ईश्वर सदैव सत्य और धर्म के साथ रहता है। जो बुधवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती समेत अन्य सभी आरोपियों को मुक्त करके कोर्ट ने पुनः उक्त बातें चरितार्थ कर दी है। पर इस अवसर शोभनारायण द्विबेदी, त्रिवेणी प्रसाद पांडेय, दिलीप कुमार चतुर्वेदी, संतोष त्रिपाठी, विनोद प्रजापति, सुरेश शुक्ला, सुमित सिंह चौहान आदि लोगों ने सीबीआई कोर्ट के निर्णय भर खुशी व्यक्त कर एक दूसरे को बधाई दी।

घर में घुसकर मचाया तांडव, कई घायल

नैनी। कोतवाली क्षेत्र स्थित भंड़रा गांव में बुधवार को दबंगों ने एक घर में घुसकर जमकर तांडव मचाया। जब परिजनों ने विरोध किया तो तोड़फोड़ करते हुए लाठी-डंडों से उन लोगों की जमकर पिटाई कर दी गई। जिससे कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके वारदात स्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ नैनी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक नैनी कोतवाली क्षेत्र के भंड़रा गांव निवासी खलील उल्ला के घर पर बीते कुछ दिन पूर्व गांव के ही रहने वाले दो युवक रात्रि पहर में दाखिल हो गए थे। बताते हैं कि दोनों युवक किसी वारदात को अंजाम देने के लिए उनके घर पर दाखिल हुए थे। उस समय लोगों के हस्तक्षेप से दोनों पक्षों के बीच मामले को शांत करा दिया गया था। बुधवार सुबह खलील उल्ला के पुत्र गांव के समीप मौजूद थे, तभी उसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। बुधवार शाम को कई लोग खलील उल्ला के घर में लाठी-डंडों से लैस होकर दाखिल हो गए और मौजूद परिजनों ने जब विरोध किया तो आरोपियों ने घर में तोड़फोड़ करते हुए उन लोगों की जमकर पिटाई कर दिए। इतना ही नहीं महिलाओं के साथ अभद्रता करने का भी आरोप भी है। मारपीट में खलील उल्ला के पुत्र जुबेर अहमद, मोहम्मद सोहराब, अल्ताफ सहित चार लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। भुक्तभोगी की तहरीर मिलने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नैनी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है।

महिमा वाल्मीकि हत्याकांड के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च

कैंडल मार्च निकालते हुए

करमा। हाथरस कांड में मृतका महिमा वाल्मीकि बलात्कार एवम हत्याकांड की वजह आज जनपद में विभिन्न जगहों पर जनाक्रोश देखने कों मिला तमाम सामाजिक संगठनों के बैनर तले कैंडल मार्च आदि के माध्यम सरकार के खिलाफ नारेबाजी करतें हुए दोषियों कों जल्द से जल्द कड़ी कार्यवाही की माँग की गयी हैं । इसी क्रम में युवा सपा नेता श्यामकृष्ण पटेल के तत्वावधान में मेजा, करमा, करछना आदि जगहों पर कैंडल मार्च करके दोषियों कों कड़ी से कड़ी सजा की माँग किये । उक्त कैंडल मार्च में युवा सपा नेता श्याम कृष्ण पटेल के साथ पवन पटेल, राकेश यादव, संदीप पटेल, आशीष विश्वकर्मा, बालकृष्ण, बंटी बबली, बागीसा द्विवेदी, अनूप पटेल, रंजीत पटेल, विपिन पटेल (चिंटू), आदर्श मिश्रा, विशाल रत्नाकर आदि लोग मौजूद रहें ।

अदालत से बरी किया जाना, सत्य की जीत : किन्नर महामण्डलेश्वर

प्रयागराज। किन्नर अखाड़ा प्रयागराज की महामण्डलेश्वर स्वामी कौशल्या नंद गिरि ने अयोध्या के विवादित ढांचा गिराये जाने के मामले में भाजपा-विहिप नेताओं के विशेष अदालत से बरी किये जाने का स्वागत करते हुए इसे सत्य की जीत कहा है।

उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की आस्था के केन्द्र बिन्दु और करोड़ों हिन्दुओं के आराध्य भगवान श्रीराम के जन्म स्थान पर आक्रमणकारियों ने कब्जा करके हजारों वर्ष तक विवाद कर दिया था। जबकि पुरातत्व की रिपोर्ट में अवशेष मंदिर के मिले थे। महामण्डलेश्वर ने कहा कि सरकार अयोध्या में शीघ्र भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण कराये। श्रीराम जन्म स्थान को लेकर जो लोग बेवजह विवाद कर रहे हैं। उनको अब संयम बरतना चाहिये और आगे बढ़कर मंदिर निर्माण में सहयोग करना चाहिये।

किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी महाराज ने भी फोन पर फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि एक ऐसे विवाद का अंत हो गया जो पूरी तरह से असत्य था। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अब अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का शीघ्र निर्माण होना चाहिये जो कि सनातन धर्म के आस्था का केन्द्र बिन्दु है।

अखिल भारतीय दण्डी सन्यासी परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीठाधीश्वर स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर का शीघ्र निर्माण अब होना चाहिए, क्योंकि सब विवाद खत्म हो गये हैं। कोर्ट के निर्णय से सभी सहमत भी हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में कोई विवाद था ही नहीं बल्कि कुछ लोग अपनी राजनीति के लिये अयोध्या में विवाद किये थे।

ओम नमः शिवाय के गुरुदेव ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह करोड़ों सनातन धर्मियों

अदालत के फैसले का स्वागत करते महामण्डलेश्वर स्वामी कौशल्या नंद गिरि व अन्य

की जीत है। अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। इससे लोगों में उत्साह है। कहा कि मंदिर आंदोलन से जुडे.लोगों के बरी होने से समाज में यह संदेश गया कि ढांचा गिरा है, लेकिन गिराया नहीं गया है। उन्होंने कहा कि भव्य मंदिर निर्माण होने से करोड़ों सनातन धर्मियों में उत्साह और खुशी की लहर है.इसी क्रम में श्रीमद्ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी वसुदेवानंद सरस्वती ने अयोध्या विवादित ढांचा के सम्बंध में न्यायालय के फैसले पर कहा यह भारतीय संस्कृति और समाज, कानून और संविधान के मंशा के अनुकूल दिया गया निर्णय है। संपूर्ण राष्ट्र के लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। यह फैसला और पहले आ जाना चाहिए था, किंतु श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या के मामले में यह मामला शीर्ष न्यायालय मे लंबित रहने के कारण ऐसा नहीं हो सका। सरकार और न्यायालय की प्रबल इच्छाशक्ति के कारण यह महत्वपूर्ण निर्णय आ सका। मैं इसके लिये न्यायालय को धन्यवाद देता हूँ। अंत में कहा कि वास्तव में सब काम ईश्वर द्वारा सुनिश्चित समय पर ही होता है ।

उमरे द्वारा कोविड-19 पर केंद्रित स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया

इस वर्ष स्वच्छ पखवाड़ा में व्यक्तिगत स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और कोविड -19 संबंधित जागरूकता पर रहा बल

प्रयागराज। इस वर्ष उत्तर मध्य रेलवे में दिनांक 16 से 30 सितंबर, 2020 तक कोविड-19 पर केंद्रित स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। पिछले वर्षों की तरह, इस वर्ष भी उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय, तीनों मण्डलों, कार्यशालाओं एवं अन्य इकाइयाँ में स्वच्छता और गहन सफाई के लिए अलग-अलग निर्धारित दिनों के अंतर्गत स्वच्छ स्टेशन, स्वच्छ रेलगाड़ी, स्वच्छ अस्पताल, स्वच्छ नीर, स्वच्छ अहार, स्वच्छ परिसर (कालोनी), स्वच्छ परिसर (कार्य स्थल) और स्वच्छ प्रसाधन आयोजित किये गये। वर्तमान कोविड -19 स्थिति को ध्यान में रखते हुये, बड़ी संख्या में लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र की बारबार सफाई, बारबार छूये जाने वाली सतहों की गहन सफाई, साबुन और सैनिटाइजर का नियमित उपयोग, हाथ की सफाई आदि पर विशेष ध्यान दिया गया ।

इस वर्ष स्वच्छता पखवाड़ा जागरूकता अभियान व्यक्तिगत स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और कोविड -19 से संबंधित था। स्वच्छता और कोविड -19 पर जागरुकता अभियान के तहत, उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय में रेलवे कर्मचारियों के बीच व्यक्तिगत स्वच्छता किट का वितरण, केंद्रीय अस्पताल प्रयागराज द्वारा कोविड -19 से सुरक्षा पर वेबिनार; प्रयागराज मण्डल में रेलवे कॉलोनियों में सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड द्वारा जागरुकता अभियान, रेलवे कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता प्रतिज्ञा, रेलवे कर्मचारी को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण, स्वच्छता पर संदेश आदि; आगरा मंडल में स्वच्छता पर स्काउट और गाइड द्वारा स्वच्छता जागरूकता रैली और स्वच्छता पर वेबिनार का आयोजन; झांसी स्टेशन पर स्वच्छता प्रतिज्ञा, मण्डल की सांस्कृतिक टीम द्वारा नुक्कड़ नाटक, झांसी स्टेशन पर चाइल्डलाइन द्वारा रैली और हस्ताक्षर अभियान, फ्लायर का वितरण एवं झांसी मण्डल में रेल सुरक्षा बल और अन्य अधिकारियों द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन रेल कर्मचारियों, रेलयात्रियों और आमजनता के मध्य जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किये गये मुख्य कार्यक्रम थे। स्वच्छता से संबंधित पोस्टर और बैनर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त, बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छता और कोविड -19 से संबंधित वीडियो क्लिप इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करने के साथ साथ प्रमुख स्टेशनों पर भी प्रदर्शित की गईं। स्वच्छ प्रतियोगिता दिवस के तहत 29.09.20 को मुख्यालय कार्यालय में ₹कोविद -19 से संबंधित स्वच्छता और प्रयागराज मण्डल में स्वच्छ रेल-स्वच्छ भारत की अवधारणा एवं उसमें रेलवे कर्मचारियों की भूमिका पर आनलाइन निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जबकि झांसी मण्डल में स्वच्छता मिशन- पर्यावरण, प्रदूषण और विज्ञान ह्व पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े के दौरान सफाई और जागरूकता अभियान के दौरान आयोजित सभी गतिविधियों को नियमित रूप से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ साझा किया गया। उत्तर मध्य रेलवे का एल्लेलट अनुभाग, स्वच्छता पखवाड़ा के आयोजन के लिए समन्वय विभाग है, जो पखवाड़े के दौरान आयोजित गतिविधियों की रिपोर्ट संकलित कर इसका विश्लेषण और भविष्य की रणनीति के लिए मूल्यांकन करता है और संदर्भ के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड के साथ भी साझा किया जाएगा।

फांसी लगाकर वृद्ध ने की आत्महत्या

प्रयागराज। शहर के कीडगंज थाना क्षेत्र के पुराना बैरहना मोहल्ले में मंगलवार की सुबह एक वृद्ध ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की। कीडगंज के पुराना बैरहना निवासी पन्नालाल (68) पुत्र जगमोहन लाल नैनी में स्थित एक प्राइवेट कम्पनी में करता था। वहां से सेवा निवृत्त होने के बाद वह अपने परिवार के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह वह कतिपय कारणों से क्षुब्ध होकर घर के अन्दर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी होते ही परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की।

मनरेगा कार्यों की हकीकत जानने गांव में निकली सोशल आडिट टीम

फूलपुर। फूलपुर विकास खण्ड के गांवों में बुधवार को शासन के निर्देश पर मनरेगा कार्यों का समवर्ती सोशल आडिट की गई। बुधवार को दो सदस्यीय आडिट टीम ने वीरकाजी, शाहापुर, लिलहट, सराय अब्दुल मलिक सहित अन्य गांवों में जाकर मनरेगा के अंतर्गत हुए कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर अभिलेखों की जांच की। आडिट टीम के सदस्य पारस नाथ ने कहा कि सोशल आडिट का मुख्य उद्देश्य मनरेगा में पारदर्शिता लाना है। मनरेगा की ब्लाक कोआर्डिनेटर संगीता पाल ने बताया कि गांवों में मनरेगा के तहत नाला खुदाई, चकमार्ग, पशुशेड, इंटरलाकिग सहित अन्य कार्यों का सोशल आडिट शासन के निर्देश पर किया जा रहा है।

मनरेगा कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए सोशल आडिट टीम के सदस्य

दबंगों ने रास्ते में रोक युवक को मारापीटा, जान से मारने की दी धमकी

घूरपुर। थाना क्षेत्र के सेंधुवार-मरुआ गांव के रास्ते में दबंगों ने एक युवक को रोक लाठी डंडे से पिटाई कर जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। पीड़ित थाने पहुंच नामजद शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। सेंधुवार गांव निवासी दिनेश कुमार पटेल (24)पुत्र जगदम्बा प्रसाद बुधवार के दिन बाइक से जसरा ब्लाक जा रहा था कि मरुआ गांव के रास्ते में पहुंचा तो उसी गांव के दो दबंग युवकों ने लाठी डंडा लेकर रास्ते में खड़े होकर रोक मारपीटा और पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।

अखण्ड भारत संदेश के लिए स्वामी श्री योगी सत्यम कियायोग आश्रम एवं अनुसंधान सस्थान झूंसी, प्रयागराज 211019 से प्रकाशित एवं रामा प्रिंटिंग प्रेस 53/25/1ए बेली रोड नया कटरा प्रयागराज से मुद्रित।

मुद्रक/प्रकाशक

स्वामी श्री योगी सत्यम

पी0आर0बी0 एक्ट के अन्तर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी। इस समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों से संबंधित विवादों का न्याय क्षेत्र प्रयागराज होगा। आरएनआई नं0: UPHIN2001/9025

एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाते भाजपाई

विवादित ढांचा विध्वंस के आरोपितों के बरी होने पर भाजपाइयों ने किया शंखनाद

प्रयागराज। विवादित ढांचा विध्वंस के आरोपितों के बरी होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने शंखनाद, घंटा घड़ियाल बजाकरकर जश्न मनाते हुए एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर मुंह मीठा किया । बुधवार को जैसे हैं फैसला आया भाजपा कार्यकर्ता अपने आप को रोक नहीं पाए शंखनाद घंटा घड़ियाल बजाते हुए सिविल लाइंस स्थित सुभाष चौराहे के पास शंखनाद कर अपनी खुशियों का इजहार किया। आपको बताते चलें कि अयोध्या में 1992 में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में आडवाणी, जोशी समेत संघ और भाजपा से जुड़े 32 लोगों को आरोपित बनाया गया था। सीबीआई अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। बुधवार को अदालत ने सभी आरोपितों को विध्वंस के आरोप से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि सबूतों से इनकी भूमिका की पुष्टि नहीं होती। घटना पूर्व नियोजित नहीं, अचानक हुई थी। संगठन ने रोकने की कोशिश की लेकिन भीड़ ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। अदालत का फैसला आते ही भाजपा और संघ से जुड़े कार्यकताओं में खुशी फैल गई। एक दूसरे को बधाई देने के साथ मिठाइयां भी खिलाईं।

केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन में स्वच्छता पखवाड़ा सम्पन्न

प्रयागराज। रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निदेशों के अनुरूप केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन (कोर) प्रयागराज में स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारम्भ 16 सितम्बर को हुआ था, जिसका समापन बुधवार को हुआ। यह जानकारी कोर के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी संतोष मिश्रा ने देते हुए बताया है कि पखवाड़े का शुभारम्भ वेबिनार के माध्यम से हुआ था। उसके पश्चात 17 सितम्बर को स्वच्छ परिसर के अन्तर्गत कोर मुख्यालय में वृहद रूप से साफ सफाई, 18 को स्वच्छ नीर के अन्तर्गत सभी पानी की टंकियों और आरओ की साफ सफाई एवं उसकी गुणवत्ता की जांच की गई। 19 को त्रिवेणी विहार रामबाग, राजपुर, जीपीओ रेलवे कॉलोनियों में बृहद रूप से साफ-सफाई का अभियान चला तथा 22 को स्वच्छ प्रसाधन के तहत मुख्यालय के सभी प्रसाधनों को साफ किया गया, 24 को स्वच्छता पखवाड़ा के अन्तर्गत ऑनलाइन ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसका शीर्षक ह्वस्वच्छ रेल स्वच्छ भारत, स्वच्छतम रेलवे स्टेशन एवं स्वच्छ सुन्दर रेलवे कॉलोनीह्व था। जिसमें कोर एवं परियोजना से भारी संख्या में कर्मचारी एवं उनके बच्चों ने भाग लिया। 23 एवं 29 सितम्बर को वीसी के माध्यम से इन सभी कार्यों के लिए रिवियू मीटिंग का आयोजन किया गया।

पॉवर कारपोरेशन-झंडे के नीचे क्लीन चिट हीलाहवाली पर एफआईआर की सौगात

बिजली चोरी रोकने में नाकारा साबित हो रहे अफसर

स्मार्ट मीटरों की जम्पनिंग से उपभोक्ताओं को पड़ रही दोहरी मार

नैनी। बिजली चोरी के मामले में प्रयागराज का जेल रोड व अरैल विद्युत उपकेन्द्र रेड जोन में है। इन दोनों उपकेन्द्रों का चार्ज सम्भालने वाले अवर अभियंता पर बिजली चोरी के अलावा उपभोक्ताओं का आर्थिक दोहन करने के गम्भीर आरोप हैं। उसके बावजूद उच्चाधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, जिससे जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

बता दें कि पॉवर कापोर्रेशन द्वारा दो सप्ताह पहले जारी लिस्ट में एक दर्जन से ज्यादा ऐसे सब स्टेशनों की फेरहिस्त है, जहां बड़े पैमाने पर लाइन लॉस हो रहा है। उसी सूची के मुताबिक अरैल सब स्टेशन पर लाइन लॉस 54.18 तो वहीं जेल रोड सब स्टेशन पर 55.81 प्रतिशत है, जिसमें इस बात का भी जिक्र है कि सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारी सावधानी पूर्वक लाइन लॉस से हो रहे डैमेज को कंट्रोल करें। यह हालात तब हैं, जब स्मार्ट मीटर रीडिंग जम्प कर उपभोक्ताओं के दिलों की धड़कन बढ़ाने के साथ ही उनकी जेब ढीली कर रहे हैं। विभागीय जानकारों की माने तो दो किलोवॉट के कनेक्शन पर औसतन प्रतिमाह तकरीबन तीन सौ यूनिट की बिलिंग होनी चाहिए, लेकिन स्मार्ट मीटर की रफ्तार से यूनिट जम्प करने की शिकायतों में इजाफा हुआ है।

वहीं सूत्रों की बातों पर यकीन करें तो जेल रोड और अरैल उपकेन्द्रों से जुड़े लोकपुर स्थित कांशीराम आवास योजना कॉलोनी के साथ ही बेथनी कान्वेंट स्कूल के पीछे आबाद मोहल्ले में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी हो रही है, लेकिन इन स्थानों पर पॉवर कारपोरेशन की सक्रियता नजर नहीं आती है। उसकी वजह कनेक्शन धारकों की संख्या कम होना है। उसके इतर बिजली चोरी के लिए चलाए जाने वाले अभियान के दौरान पकड़ में आने वाले उपभोक्ताओं से वीडियो रिकॉर्डिंग व फोटोग्राफी की आड़ लेकर क्षेत्रीय अवर अभियंता द्वारा सौदेबाजी की जाती है, जो झंडे के नीचे आ गया, उसे क्लीन चिट और जिसने भी हीलाहवाली की तो उसे एफआईआर की सौगात। सूत्रों का यहां तक कहना है कि प्रति किलोवॉट दस हजार रुपए सुविधा शुल्क की दर निर्धारित है।

उपभोक्ताओं का धनादोहन होने के बाबत पूछे जाने पर अधीक्षण अभियंता आशुतोष श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि ऐसे प्रकरण संज्ञान में आते हैं तो उसकी जांच करा कर दोषी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

प्रयागराज गुरुवार, 1 अक्टूबर, 2020

क्रियायोग सन्देश

सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया लाहिड़ी महाशय का जन्मदिवस

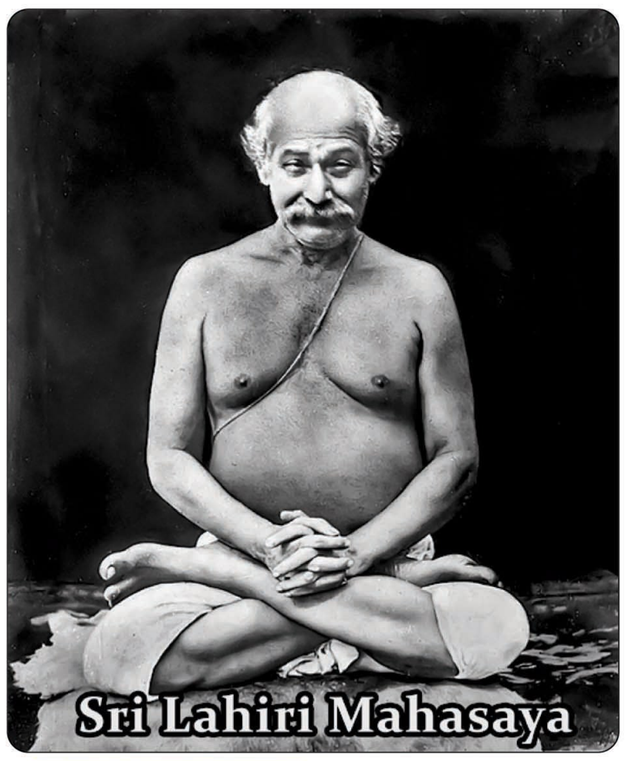

ध्यान कक्ष में क्रियायोग गुरु स्वामी श्री योगी सत्यम जी ने साधकों को लाहिड़ी महाशय के जीवन परिचय के बारे में बताया

क्रियायोग आश्रम में उपस्थित साधकगण

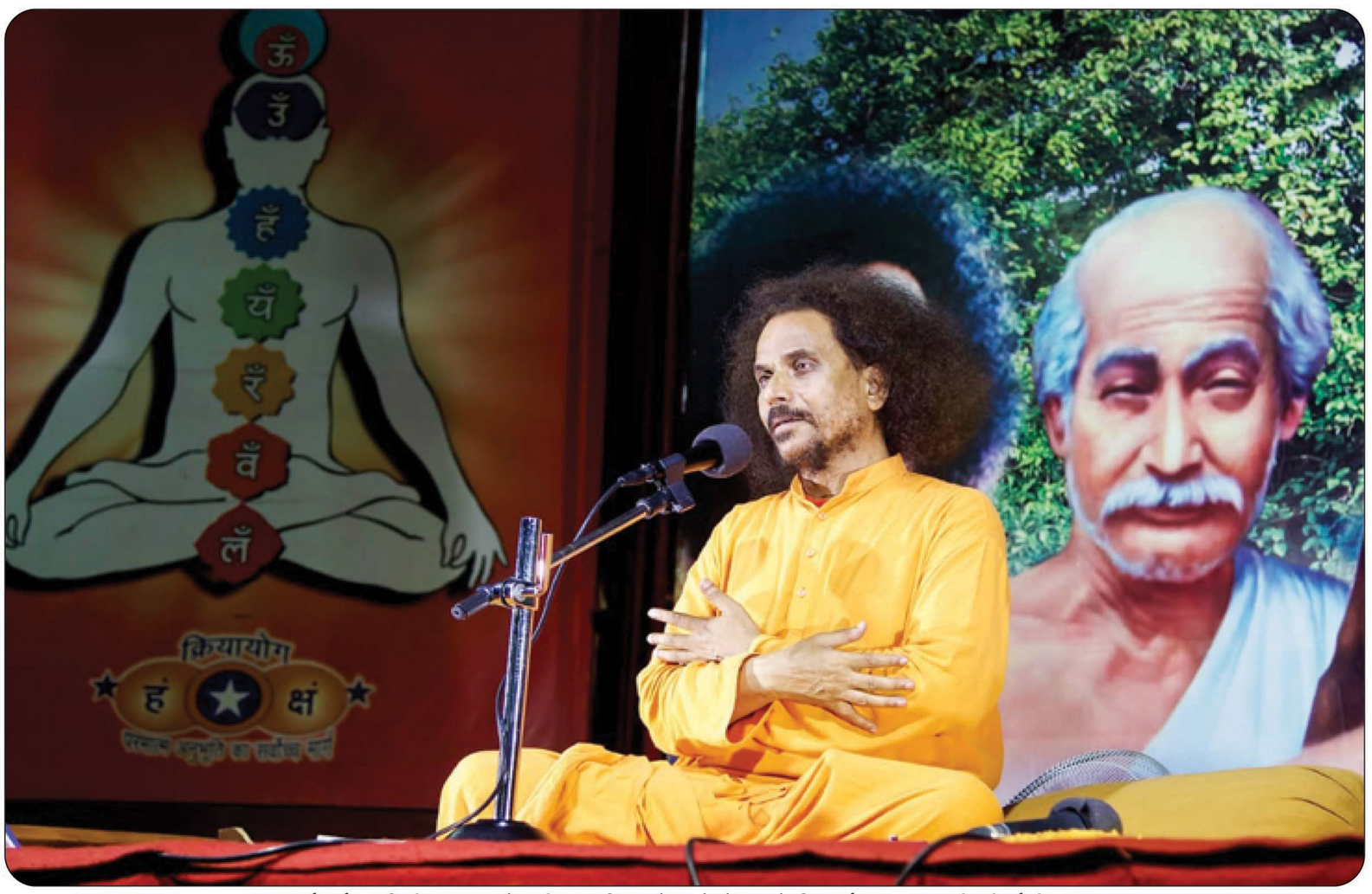

साधकों को लाहिड़ी महाशय के जीवन परिचय के बारे में बताते क्रियायोग गुरू स्वामी श्री योगी सत्यम

झूँसी, प्रयागराज। क्रियायोग आश्रम एवम अनुसन्धान संस्थान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोरोना महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया योगावतार लाहिड़ी महाशय जी का जन्मदिवस, क्रियायोग गुरु स्वामी श्री योगी सत्यम जी ने बुधवार को ध्यान कक्ष में साधकों को प्रतिदिन की तरह ध्यान के पश्चात लाहिड़ी महाशय जी के जीवन परिचय को बताएं । स्वामी श्री योगी सत्यम जी ने कहा कि जिस प्रकार जॉन और ईसा के बीच जो कालातीत गुरु - शिष्य संबंध था, वहीं महावतार बाबा जी और लाहिड़ी महाशय के बीच भी था। मृत्युंजय गुरु अत्यंत वात्सल्य के साथ अपने शिष्य के दो जन्मों के बीच के अथाह सागर को पार कर बालक लाहिड़ी और फिर युवा लाहिड़ी द्वारा उठाए गए कदमों का मार्गदर्शन करते रहे। शिष्य के जीवन के तैतीस वें वर्ष में पदार्पण करने से पहले बाबा जी में प्रकट रूप से पुनः उस संबंध को स्थापित करना उपयुक्त नहीं समझा, जो कभी टूटा ही नहीं था। रानीखेत के पास अल्प समय के मिलन के बाद निः स्वार्थी गुरु ने अपने प्रिय शिष्य को अपने पास नहीं रखा, बल्कि लाहिड़ी महाशय जी को जगत में अपनी जीवन कार्य पूरा करने के लिए छोड़ दिया। मेरे पुत्र! जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं आ जाऊँगा।' केवल अलौकिक अनन्त दिव्य प्रेम ही इस प्रकार के वचन में निहित अनंत तथ्यों की पूर्ति कर सकता है। दिन प्रतिदिन महान गुरु एक दो साधकों को क्रियायोग की दीक्षा देते थे । अपने इन आध्यात्मिक कर्तव्य एवं व्यवसायिक तथा पारिवारिक जीवन के उत्तरदायित्व के अलावा वे शिक्षा के क्षेत्र में भी सोत्साह हिस्सा लेते थे । उन्होंने कई घरों में छोटी-छोटी पाठशालाएँ शुरू करवा दी थीं और काशी के बंगाली टोला मोहल्ले में एक बड़े हाई स्कूल के विकास में सक्रिय योगदान दिया था। साप्ताहिक सभाओं में, जो बाद मे 'गीता सभा' के नाम से प्रतिष्ठित हुई महान गुरु अनेक जिज्ञासाओं को शास्त्रों का अर्थ समझाते थे। इन बहुमुखी गतिविधियों द्वारा लहिड़ी महाशय जी कुछ सामान्य प्रतिवाद का उत्तर देने की चेष्टा कर रहे थे : 'व्यावसायिक और सामाजिक कर्त्तव्यो को निभाते - निभाते ध्यान-धारणा का समय ही कहाँ बचता है। इस महान गृहस्थ - योगी गुरु का पूर्ण संतुलित जीवन हजारों नर-नारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। केवल साधारण - सा वेतन पाते हुए भी, किफायती खर्च करते हुए यह आडंबर हीन गुरु जिनके पास कोई भी पहुंच सकता था, अत्यंत स्वाभाविक तरीके से सुख पूर्वक संयमित सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे थे ।स-ाक्षात परमात्मा के आसन पर विराजमान होते हुए भी लाहिड़ी महाशय बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों का आदर करते थे। जब उनके भक्त उन्हें प्रणाम करते तो वह भी उत्तर में उन्हें नमस्कार करते , गुरु के पाँव छूने के प्राचीन पर वाक्य पौर्वात्य प्रथा होते हुए भी स्वयं ही शिशु सुलभ विनम्रता के साथ दूसरों के पाँव छू लेते थे पर दूसरों को कभी अपने पाँव नहीं छूने देते थे।

THE CHRISTLIKE LIFE OF LAHIRI MAHASAYA

On The Birth Anniversary of Yogavatar Lahiri Mahasaya ji (Excerpt from Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda – Chapter 35)

The eternal bond of guru and disciple that existed between John and Jesus was present also for Babaji and Lahiri Mahasaya. With tender solicitude the deathless guru swam the Lethean waters that swirled between the last two lives of his chela, and guided the successive steps taken by the child and then by the man Lahiri Mahasaya. It was not until the disciple had reached his thirty-third year that Babaji deemed the time to be ripe to openly reestablish the never-severed link. Then, after their brief meeting near Ranikhet, the selfless master banished his dearly-beloved disciple from the little mountain group, releasing him for an outward world mission. "My son, I shall come whenever you need me." What mortal lover can bestow that infinite promise?

Unknown to society in general, a great spiritual renaissance began to flow from a remote corner of Benares. Just as the fragrance of flowers cannot be suppressed, so Lahiri Mahasaya, quietly living as an ideal householder, could not hide his innate glory. Slowly, from every part of India, the devotee-bees sought the divine nectar of the liberated master…

Parlor in Benares home of Lahiri Mahasaya, *Param-paramguru* of all SRF-YSS *Kriya Yogis*. "Here the great guru sat in silence most of the time, locked in the tranquil lotus posture… No visitors departed without upliftment of spirit; all knew they had received the silent blessing of a true man of God." Photograph taken in 1957.

Day after day, one or two devotees besought the sublime guru for Kriya initiation. In addition to these spiritual duties, and to those of his business and family life, the great master took an enthusiastic interest in education. He organized many study groups, and played an active part in the growth of a large high school in the Bengalitola section of Benares. His regular discourses on the scriptures came to be called his "Gita Assembly," eagerly attended by many truth-seekers.By these manifold activities, Lahiri Mahasaya sought to answer the common challenge: "After performing one's business and social duties, where is the time for devotional meditation?" The harmoniously balanced life of the great householder-guru became the silent inspiration of thousands of questioning hearts. Earning only a modest salary, thrifty, unostentatious, accessible to all, the master carried on naturally and happily in the path of worldly life.

Though ensconced in the seat of the Supreme One, Lahiri Mahasaya showed reverence to all men, irrespective of their differing merits. When his devotees saluted him, he bowed in turn to them. With a childlike humility, the master often touched the feet of others, but seldom allowed them to pay him similar honor, even though such obeisance toward the guru is an ancient Oriental custom.